रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 1991/फाल्गुन 3, 1912
No. 72] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 1991/PHALGUNA 3, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 86(अ):—स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से 45 दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख को उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) संशोधन नियम, 1991 है।

2. उक्त नियमों के नियम 2 में,—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) "सक्षम व्यक्ति" से ऐसी गैसों और ऐसी अवधि के लिए उन नियमों में अनुबद्ध प्रतिष्ठानों और परिवहन यानों का परीक्षण, परीक्षा,

निरीक्षण और प्रमाणन करने के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यताप्राप्त सक्षम व्यक्ति या कोई संगठन अभिप्रेत है यदि ऐसे व्यक्ति या संगठन के पास इन नियमों के परिशिष्ट 2 में दी गई अर्हताएं, अनुभव और अन्य अपेक्षाएं हैं और वह नियम 11क में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मान्यताप्राप्त हैं;

परन्तु मुख्य नियंत्रक किसी सक्षम व्यक्ति की बाबत अर्हताओं की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकेगा यदि वह व्यक्ति अपवादिक रूप से अनुभवी और ज्ञानी है किन्तु वह उसके अधीन सुविधाओं की बाबत अपेक्षाओं को शिथिल नहीं कर सकता ;

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:—

"(ङ) "संपीड़ित गैस" से कोई स्थायी गैस, द्रवणीय गैस या द्रव में दाब या गैस मिश्रण में घुली गैस जो एक बंद दाब पात्र में अधिकतम कार्यकरण तापमान पर ही वायुमंडल (गेज) उत्पन्न करती है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाईड्रोजन फ्लोराइड है। रोधन रहित या प्रशीमन रहित पात्रों के मामले में अधिकतम कार्यकरण तापमान 55° सें. समझा जाएगा।

(iii) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(त) "निरीक्षण" के वह सुनिश्चित करने के लिए कि दाब पात्र आई एस : 2825 या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य कोड के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और उन्हीं के अनुसार उनका सनिर्माण किया गया है, इन नियमों में अनुबद्ध संविरचन के दौरान प्रक्रमवार निरीक्षण करने के पश्चात् दाब पात्र और उनकी फिटिंग्ज का प्रमाणन करने के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई वृत्तिक संगठन अभिप्रेत है यदि संगठन के संघटक सदस्यों के पास इन नियमों के परिशिष्ट-2 में दी गई अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य अपेक्षाएं है और उन्हें नियम 11क में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है;

(iv) खंड (न) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(न) "दाबपात्र" से किसी भी आकार का, किसी संपीडित गैस के भण्डारण और परिवहन के लिए आशयित कोई ऐसा संवृत्त धातु का आधान अभिप्रेत है जो आन्तरिक दाब के अधीन होता है और जिसकी जलधारिता एक हजार लिटर से अधिक है और इसके अन्तर्गत संबंधित पाईपिंग और फिटिंग से संयोजन के प्रथम बिन्दु तक उसके अन्तस्पार्शी पुर्जे और संघटक भी है, परन्तु इसमें वे आधान जिनके अन्तर्गत भाप या अन्य वाष्प का उत्पादन होता है या उसके उत्पादन के लिए आशयित है अथवा जल या अन्य द्रव अग्नि के प्रयोग या दहन के उत्पादों द्वारा अथवा विद्युत् साधनों द्वारा, तप्त किये जाते हैं अथवा तप्त किये जाने के लिए आशयित है, ताप-विनिमायक, वाष्पित्र, वायु-ग्राही प्रवाही संचालित्र, प्रवाही निर्जनक, आटोक्लेव, रिएक्टर, कैलोरीफायर और दाब पाइपिंग, संघटक जैसे पृथक्कारी या चालनित्र और पात्र जिनमें दाब अक्रिय गैस के ब्लैंकेट के अधीन द्रव हो, सम्मिलित नहीं है।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. सामान्य छूट :—इन नियमों की कोई भी बात संयंत्र में संबंधित ऐसे पात्रों को लागू नहीं होगी जो किसी प्रसंस्करण संयंत्र के भाग हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिए, ऐसे पात्र, जो प्रसंस्करण का भाग हैं, से ऐसे पात्र अभिप्रेत हैं जिनमें प्रसंस्करण अपेक्षा के रूप में, प्रसंस्करण संयंत्र में प्राप्त और उपयोग में लाई गई दाब गैस के है परन्तु तब जब ऐसे पात्रों की जल क्षमता डिजाइन की गई प्रवाह दर पर 16 घंटे से अनधिक अवधि के लिए उपयोगी बिन्दु (बिन्दुओं) के पोषण के लिए आवश्यक गैस सक्षमता के समतुल्य है।"

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन अनुमोदित प्रकार या मानक या कोड के अनुसार पात्रों का विनिर्माण करने वाले किसी कारखाने का अनुमोदन मुख्य नियंत्रक द्वारा किया जायेगा। ऐसा अनुमोदन प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा—

(क) इन नियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां —

(ख) पांच सौ रुपये की जांच फीस।"

5. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"फीस के संदाय की प्रक्रिया :—इन नियमों के अधीन देय सभी फीस मुख्य नियंत्रक विस्फोटक विभाग, नागपुर के नाम पर लिखे गए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माम मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जानी चाहिये और जहां देय रकम 100रु. (एक सौ रुपये)

से अधिक नहीं है, वहां संदाय नकद, मनी आर्डर, पोस्टल आर्डर या स्थानीय बैंक पर लिखे गये चैक द्वारा किया जा सकता है ।

6. उक्त नियमों के नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"11क. सक्षम व्यक्ति और निरीक्षक को मान्यता प्रदान किया जाना और उसके प्रतिसंहरण की प्रक्रिया :—

(1) सक्षम व्यक्ति या निरीक्षक के रूप में मान्यता-प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को परिशिष्ट-3 में विहित प्ररूप में आवेदन देगा । प्रत्येक आवेदन के साथ सक्षम व्यक्ति के लिये आवेदन हेतु 500 रु. और निरीक्षक के लिये आवेदन हेतु 1000 रु. जांच फीस साथ लगी होगी। मुख्य नियंत्रक ऐसे आवेदन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर क्षमता और वृत्ति आचार के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर या तो आवेदक को, यथास्थिति, सक्षम व्यक्ति या निरीक्षक के रूप में मान्यता दे देगा या कारण विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन को न मंजूर कर देगा ।

(2) मुख्य नियंत्रक निरीक्षक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मान्यता को प्रतिसंहरण कर सकेगा—

(क) यदि उसके विश्वास करने का यह कारण है कि निरीक्षक ने मान्यता पत्र में अनुबंधित किसी शर्त का उल्लंघन किया है या कोई परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण किया है या किसी ऐसे ढंग से कार्यवाही की है जो इन नियमों के आशय या प्रयोजन से असंगत है;

(ख) किसी अन्य कारण से जिसे लेखबद्ध किया जायेगा ।"

7. उक्त नियमों के नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(xiii) मोचन वाल्वों के ठीक प्रचालन के लिये किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षण किया जायेगा और ऐसे परीक्षण का अभिलेख रखा जायेगा । परीक्षण प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी किया जायेगा ।

8. उक्त नियमों के नियम 19 में, उपनियम (1) (क) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"ऐसे पात्रों की दशा में जिन्हें इस प्रकार डिजाइन किया गया है, उन का सन्निर्माण किया गया है या उन्हें कोई समर्थन दिया गया है कि उन्हें द्रव चालित परीक्षण के लिये जल या द्रव से सुरक्षित रूप से नहीं भरा जा सकता या वे ऐसे हैं जिनका उपयोग इन सेवाओं में किया जाता है जहां जल की धाराओं को सहन नहीं किया जा सकता, मुख्य नियंत्रक सुरक्षा पूर्वविधानियों की पर्याप्तता के संबंध में अपना समाधान हो जाने के पश्चात् पात्र संविरचन संहिता में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार द्रव चालित परीक्षक के स्थान पर अविनाशी परीक्षणों के साथ साथ वात प्रचालित परीक्षण की अनुज्ञा दे सकेगा ।"

(ख) उपनियम (2) में, "उपनियम (1) के अधीन यथापेक्षित परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (1) के अधीन यथापेक्षित परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति विहित प्ररूप में प्रमाणपत्र जारी करेगा" शब्द, कोष्ठक और अंक रखा जायेगा ।

9. उक्त नियमों के नियम 33 में "प्रोफार्मा" शब्द से पूर्व आने वाले "निर्माण" शब्द के स्थान पर "मुख्य नियंत्रक द्वारा विहित" शब्द रखे जायेंगे। नियम 33 के नीचे दिये गये प्रोफार्मा का लोप किया जायेगा।

10. उक्त नियमों के नियम 43 में "इस आशय का सुरक्षा प्रमाणपत्र" शब्दों से पूर्व "विहित प्रोफार्मा में" शब्द रखे जायेंगे ।

11. उक्त नियमों के नियम 44 में,—

(क) उपनियम (1) में, "यान का यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह हर समय रोड पर चलने लायक है, और यह भरने, परिवहन और इसके भार को सुरक्षित रूप से विसर्जन करने के लिये ठीक दशा में है, निरीक्षण किया जायेगा" शब्दों के स्थान पर "यान की यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह हर समय सड़क पर चलने लायक है, और यह भरने, परिवहन और इसके भार का सुरक्षित रूप से विसर्जन करने के लिये ठीक दशा में हैं, जांच करेगा ।" शब्द रखे जायेंगे ।"

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) सक्षम व्यक्ति हर छह मास में यह जांच करने के लिये कि यान का अनुरक्षण उपनियम (1) के अधीन किया जा रहा है यान की जांच करेगा और विहित प्रोफार्मा में प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

12. उक्त नियमों के अध्याय 7 में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"दुर्घटना और क्षति"।

13. उक्त नियमों के परिशिष्ट को परिशिष्ट-1 के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित परिशिष्ट-1 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

परिशिष्ट—2

[नियम 2(घ) देखिए]

निरीक्षक और सक्षम व्यक्ति के लिये अर्हताएं और अनुभव

क्रम सं.	वह नियम जिसके अधीन सक्षमता को मान्यता दी जाती है	अर्हता और अन्य अपेक्षाएं	इस प्रयोजन के लिये अनुभव	न्यूनतम सुविधाएं
1	2	3	4	5
1.	नियम 12(3) निरीक्षक	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनिक या यांत्रिक या मौसम विज्ञान या समुद्री इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य वृत्तिक अर्हता।	(1) दाब पात्रों और दाबाधीन संचालित उपस्करों के रूपांकन, संविरचन और संविरचन के दौरान प्रक्रमवार निरीक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।	मुख्य नियंत्रक विस्फोटक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जायेगी।
		(2) परीक्षण और परीक्षा करने के लिये शारीरिक रूप से योग्य और मानसिक रूप से स्वस्थ।	(2) जिसे— (क) दाबपात्रों और उनकी फिटिंग से संबंधित सुसंगत संविरचन कोड और परीक्षण प्रक्रिया की जानकारी हो। (ख) अज्वलित दाब पात्रों के रूपांकन और सुरक्षा से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं की जानकारी हो।	
2.	नियम 18,19,33,43 और 44	(1) रसायनिक या यांत्रिक इंजीनियरी या समुद्री इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य वृत्तिक अर्हताए (2) परीक्षण और परीक्षा करने के लिये शारीरिक रूप से योग्य और मानसिक रूप से स्वस्थ।	(1) निम्नलिखित् में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव (क) रूपांकन और संविरचन, सन्निर्माण सचालन अनुरक्षण और (ख) दाब पात्रों या दाबाधीन संचालित उपस्कर का परीक्षण, परीक्षा और निरीक्षण। (2) जिसे— (क) दाब पात्रो से सबधित सुसगत पद्धति कोड और परीक्षण प्रक्रिया की जानकारी हो; (ख) अज्वलित दाब पात्र और परिवहन यानों से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं की जानकारी हो; (ग) दाब पात्रों को लागू अविनाशी परीक्षण तकनीक की जानकारी हो, और (घ) दाब पात्र की सुरक्षा से संबंधित कमियों को पहचानने और इस में किसी विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ हो।	द्रव चालित परीक्षण, अविनाशी परीक्षण, गेज, उपस्कर/मापने हेतु जुगत और कोई अन्य गेज या उपस्कर जो दाबपात्रों के उपयोग में सुरक्षा अवधारित करे।

टिप्पण :—संगठन की दशा में संघटक सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्तंभ (3) के अधीन की और सामूहिक रूप से स्तंभ (4) के अधीन की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

परिशिष्ट—3

[नियम 2(त) और 11क देखिए]

क. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता के लिए लिए आवेदन

(नियम 18, 19, 33, 43, और 44, (2) देखिए)

1. संगठन का नाम और पूरा पता :

2. संगठन की हैसियत (विनिर्दिष्ट करें कि व्यष्टि है या सरकारी, स्वशासी, सहकारी निगमित या प्राइवेट निकाय, जो कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों)।

3. वह प्रयोजन जिसके लिये सक्षमता चाहिए

(नियम विनिर्दिष्ट करें)।

4. क्या संगठन/व्यष्टि को किसी अन्य कानून के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है, यदि ऐसा है तो ब्यौरा दें।

5. (1) संगठन व्यक्ति की स्थापना का स्वरूप।

(2) नाम और अर्हता (संगठन की दशा में संघटक सदस्यों का)

(3) परिवहन यानों की दशा में संविरचन, संस्थापन अनुरक्षण, दाब पात्रों और अनेक फिटिंग की परीक्षा और परीक्षण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुभव (संगठन की दशा में संघटक सदस्यों के) कृपया अनुसूची-2 के स्तंभ 4 में वर्णित अपेक्षा के प्रतिनिर्देश करें। (अनुभव का दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)।

6. निरीक्षण/परीक्षण करने के लिये संगठन पास उपलब्ध उपस्कर गेज आदि की विशिष्टियां।

7. विभिन्न नियमों के अधीन प्रमाणन के लिये प्रक्रमवार निरीक्षण/परीक्षण करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा।

8. कोई अन्य जानकारी।

9. घोषण

मैं———————————————की ओर से प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है। मैं वचनबंध करता हूं कि—

(1) सुविधाएं ठीक कामकाज की हालत में रखूंगा और उन्हें कालिक रूप से अंशांकित करवाऊंगा;

(2) सक्षमता प्रमाणपत्र में अनुबंधित सभी शर्तों और समय समय पर मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा।

संगठन के प्रधान के हस्ताक्षर

स्थान : नाम और पदनाम———————————

तारीख : संस्था की मुद्रा.

ख. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 1981 की परिधि के अधीन आने वाले निरीक्षक के रूप में मान्यता के लिए आवदन।

[नियम 12(2) देखिए]

1. संगठन का नाम और पूरा पता :

2. संगठन की हैसियत

(विनिर्दिष्ट करें कि व्यष्टि है या सरकारी, स्वशासी, सहकारी, निगमित या प्राइवेट निकाय, जो कंपनी अधिनियम के अधीननियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों।

3. क्या संगठन को इस कानून या किसी अन्य कानून के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है। यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा दें।

4. (i) संगठन का स्वरूप

(ii) उसके संघटक सदस्यों के नाम और अर्हता।

(iii) संगठन और संघटक सदस्यों का दाब पात्रों के संविरचन के दौरान प्रक्रमवार निरीक्षण और अनेक फिटिंग तथा अन्य क्षेत्रों में अनुभव। कृपया अनुसूची-2 के स्तंभ 4 में वर्णित अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश करें। (कृपया अनुभव का दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)।

5. निरीक्षण परीक्षण करने के लिये संगठन के पास उपलब्ध उपस्कर गेज आदि की विशिष्टियां।

6. प्रमाणन के लिये प्रक्रमवार निरीक्षण/परीक्षण करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा।

7. अनेक पक्षकारों को जारी किये जाने वाले परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा।

8. कोई अन्य जानकारी।

9. घोषणा :

मैं————————————, ————————की ओर से प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है। मैं वचनबंध करता हूं कि सक्षमता प्रमाणपत्र में अनुबंधित सभी शर्तों और समय समय पर मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा।

संगठन के प्रधान के हस्ताक्षर

स्थान : नाम और पदनाम ————————

तारीख : संस्था की मुद्रा

ग. किसी व्यक्ति को उस संगठन के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित भण्डारण प्रतिष्ठानों या परिवहन यानों के प्रमाणन के लिए, जिसमें वे नियोजित हैं, सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिये आवेदन।

1. नाम

2. जन्म तिथि

3. संगठन का नाम

4. पदनाम

5. शैक्षिक अर्हता (शिक्षा प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें)।

6. वृत्तिक अनुभव की विशिष्टियां (क्रमानुसार) :

संगठन का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	दायित्व क्षेत्र

7. वृत्तिक निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो।

8. उपलब्ध सुविधाओं (परीक्षा, परीक्षण आदि) का ब्यौरा।

9. वह प्रयोजन जिसके लिये सक्षमता प्रमाणपत्र चाहिए (नियम विनिर्दिष्ट करें)।

10. क्या आवेदक को किसी कानून के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है (यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा दें)।

11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

12. आवेदक द्वारा घोषणा ।

मैं————————————,घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है । मैं वचनबंध करता हूं कि—

(क) मैं उपर्युक्त संगठन छोड़ने की दशा में मुख्य नियंत्रक को तुरन्त सूचना दूंगा ।

(ख) सक्षमता प्रमाणपत्र में अनुबंधित सभी शर्तों और समय समय पर मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किये गये आदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

संगठन द्वारा घोषणा

मैं————————————————, प्रमाणित करता हूं कि श्री————————————जिनका ब्यौरा ऊपर दिया गया है, हमारे नियोजन में है और हम उसे नियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में घोषित करने के प्रयोजन के लिये संगठन की ओर से नामनिर्दिष्ट करते हैं । मैं यह भी वचनबंध करता हूं कि मैं,—

(क) सक्षम व्यक्ति के हमारे नियोजन में न रहने की दशा में मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा ;

(ख) ऊपर वर्णित सभी उपलब्ध सुविधाओं की व्यवस्था करूंगा और ठीक हालत में रखूंगा ;

(ग) यदि सुविधाओं में कोई परिवर्तन होगा तो उसकी मुख्य नियंत्रक को सूचना दूंगा।

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम————————————

स्थान : टेलीफोन नं ————————————

तारीख : टेलैक्स नं. ————————————

शासकीय मुद्रा

"उदाहरण : एल पी जी भण्डारण पात्र या प्रतिष्ठान के प्रमाणन के लिये किसी परिष्करणी का कोई अधिकारी"।

[फा.सं. 2(5)/89-डी पी आर/ई जी जी एस]

आर.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम अधिसूचना सं. 45(अ) तारीख 4-2-1982, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3(i) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 1991

G.S.R. 86(E).—The following draft of certain rules to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration forty-five days after the Gazette containing the notification is made available to the public.

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

1. These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Amendment Rules, 1990

2. In rule 2 of the said rules—

(i) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

'(d) "Competent Person" means a person or an organisation recognised by the Chief Controller, for such gases and for such period as may be specified as competent for carrying out tests, examination, inspections and certification for installations and transport vehicles as stipulated in these rules, if such a person or organisation possesses the qualifications, experience and other requirements as set out in Appendix-II to these rules and is recognised as per procedure laid down in rule 11A :

Provided that the Chief Controller may relax the requirements of qualifications in respect of a competent person if such a person is exceptionally experienced and knowledgeable, but not the requirements in respect of the facilities at its command :'

(ii) for clause (e) the following clause shall be substituted, namely :—

'(e) "Compressed gas" means any permanent gas, liquifiable gas or gas dissolved in liquid, under pressure or gas mixture, which in a closed pressure vessel

exercises a pressure exceeding two atmosphere (gauge) at the maximum working temperature and includes Hydrogen Fluoride. In case of vessels without insulation or refrigeration, the maximum working temperature shall be considered as 55°C;'

(iii) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely :—

'(p) "Inspector" means a professional organisation recognised by the Chief Controller for certifying pressure vessels and their fittings after carrying out stagewise inspection during fabrication, as stipulated in the rules so as to ensure that the pressure vessels are designed and constructed in accordance with IS : 2825 or any other Code approved by the Chief Controller, if the constitutent members of the organisation possesses the quallfications and experience and other requirements as set out in Appendix-II to these rules and the recognition is granted as per procedure laid in rule 11A;'

(iv) for clause (t) the following clause shall be substituted, namely :—

(t) "Pressure vessel" means any closed metal container of whatever shape, intended for the storage and transport of any compressed gas which is subjected to internal pressure and whose water capacity exceeds one thousand litres and includes inter connecting parts and components thereof upto the first point of connection to the connected piping and fittings but does not include containers wherein steam or other vapour is, or is intended to be generated, or water or other liquid is, or is intended to be, heated by the application of fire, or the products of combustion or by electrical means, heat exchangers, evaporators, air receivers, steam-type digestors, steam-type sterilizers, autoclaves, reactors, calorifiers pressure piping components such as separators or strainers and vessels containing a liquid under a blanket of compressed inert gas.'

3. For rule 3 of the said rules the following rule shall be substituted, namely :—

"3. General exemptions :—Nothing in these rules shall apply to vessels which form part of a processing plant. For the purpose of this rule, vessels forming part of a processing plant shall mean vessels which contain, as a process requirement, a compressed gas received from and consumed in the same processing plant, provided that the water capacity of such vessels is equivalent to the gas capacity necessary for feeding the consuming point(s) for a period not exceeding 16 hours at the designed flow rate."

4. In rule 4, of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Any factory for the manufacture of vessels in accordance with a type or standard or code approved under sub-rule (1) shall be approved by the Chief Controller. Any person seeking such approval shall submit to the Chief Controller—

(a) The particulars specified in Appendix-I to these rules.

(b) a scrutiny fee of rupees five hundred."

5. For rule 11, of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"Procedure for payment fees—All fees payable under these rules shall be paid through crossed demand draft on any nationalised bank in favour of the Chief Controller of Exprosives, Nagpur and in cases where the amount payable does not exceed Rs. 100, the payment may be made by cash, money order, postal order or cheque drawn on a local bank."

6. After rule 11 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"11A. Procedure for grant and revocation of recognition to competent person and Inspector :—

(i) Anybody intending to be recognised as Competent Person or Inspector shall submit to the Chief Controller, an application in the form prescribed in Appendix-III. Every application shall be accompanied by a scrutiny fees of Rs. 500 for application for competent person and Rs. 1000 for application for Inspector. The Chief Controller shall register such application and within a period of sixty days of the date of receipt of the application, either after having satisfied himself with regard to competence and professional ethics recognise the applicant as a competent person or an Inspector, as the case may be, or reject the application specifying the reasons therefor.

(ii) The Chief Controller may, after giving an opportunity to the Inspector of being heard, revoke the recognition—

(a) if he has reason to believe that an Inspector has violated any condition stipulated in the letter of recognition or has carried out a test, examination and inspection or has acted in a manner inconsistent with the intent or the purpose of these rules; or

(b) for any other reason to be recorded in writing."

7. In sub-rule (2), said rules, for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(xiii) relief valves shall be tested by a competent person for correct operation not less than once in a year and a record of such test shall be maintained. The test certificate shall be issued in the prescribed proforma."

8. In rule 19 of the said rules after sub-rule (1),—

(a) the following shall be added, namely :—

"In case of vessels which are so designed, constructed or supported that they cannot be safely filled with water or liquids for hydraulic testing, or which are used in services wherever traces of water cannot be tolerated, Chief Controller may permit pneumatic testing alongwith non-destructive tests instead of hydraulic testing, as per procedure laid down in vessel fabrication Code, after satisfying himself about the adequacy of the safety precautions undertaken;"

(b) in sub-rule (2) at the end, the words "in prescribed proforma" shall be added.

9. In rule 33, of the said rules the words "given below" appearing after the word "proforma" shall be substituted by the words "prescribed by the Chief Controller". The proforma appearing below rule 33 shall be omitted.

10. In rule 43 of the said rules the words "in prescribed proforma" shall be added after the words "A Certificate of safety".

11. In rule 44 of the said rules (a) in sub-rule (1), the words "A check shall be made on the vehicle to" shall be substituted by the words "The licensee for any vehicle shall";

(b) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) An examination of the vehicle to check that the vehicle is maintained as per sub-rule (1) shall be carried out every six months by a competent person and a certificate in the prescribed proforma shall be issued by him."

12. In Chapter VII of the said rules, for the heading the following heading shall be substituted, namely :—

"ACCIDENTS AND INJURIES."

13. The Appendix to the said rules shall be numbered as Appendix-I and after Appendix-I as so numbered, the following Apperdices shall be added, namely :—

APPENDIX II

[(See rule 2 (d)]

QUALIFICATION AND EXPERIENCE OF INSPECTOR AND COMPETENT PERSON

Sl. No.	Rule under which Competency is recognised	Qualification and other requirements	Experience for the purposes	Minimum facilities
1	2	3	4	5
1.	Rule 12(3) 'Inspector'	(1) Degree in chemical or Mechanical or Metallurgical or Marine Engineering from a recognised University or equivalent professional qualification. (2) Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination.	(1) A minimum experience of 10 years in design. fabrication and stage-wise inspection during fabrication of pressure vessels and equipments operating under pressure. (2) He shall be— (a) conversant with the relevant codes of fabrication and test procedures relating to pressure vessels and their fitting. (b) conversant with the statutory requirements concerning design and safety of unfired pressure vessels.	That may be specified by Chief Controller of Explosive from time to time.
2.	Rules 18, 19, 33 43 and 44	(1) Degree in Chemical or Mechanical Engineering or Marine Engg. or equivalent professional qualifications (2) Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examinations.	(1) A minimum experience of 10 years in— (a) design and fabrication, erection operation, maintenance and (b) testing, examination and inspection of pressure vessels or equipment operating under pressure. (2) He shall be— (a) conversent with the relevant codes of practice and test procedures relating to pressure vessels; (b) Conversant with statutory requirements concerning safety of unfired pressure vessels installations and transport vehicles.	Facilities for carrying out hydraulic test, non-destructive tests, guages, equipments/ gadgets for measurement and any other gauges or equipment to determine the safety in the use of pressure vessles.

4	
	(c) conversant with non-destructive testing techniques as are applicable to pressure vessels.
	(d) able to identify defects and arrive at a reliable conclusion with regard to the safety of pressure vessels.

Note :—In case of an organisation, the constituent members shall fulfil the requirement under column 3 individually and those under column (4) collectively.

APPENDIX III

[See rules 2(P) and 11A]

A. APPLICATION FOR RECOGNITION AS COMPETENT PERSON UNDER THE STATIC AND MOBILE PRESSURE VESSELS (UNFIRED) RULES, 1981.

[See rules 18, 19, 33, 43 & 44(2)]

1. Name & full address of the organisation :

2. Organisation status
(Specify whether individual or Govt. Autonomous, Co-operative, Corporate of Private Body registered under Company's Act).

3. Purpose for which competency is sought
(specify the rules).

4. Whether the organisation/person has been declared as a competent person under any other statute. If so, give details.

5. (i) Set up of the organisation/person.
(ii) Name of qualification
(of constituent members in case of organisation).
(iii) Experience (of constituent members in case of organisation) with regard to fabrication, installation, maintenance in case of transport vehicles and examination and testing of pressure vessels and various fittings and in other related fields. Please refer to requirements mentioned in column 4 of Schedule II.
(Please attach documentary evidence of the experience).

6. Particulars of equipment, Gauges etc. available with the Organisation for carrying out the Inspection/Testing.

7. Details of the procedures followed in carrying out stage by stage inspection/test for certification under different rules.

8. Any other information.

9. Declaration

I.....hereby, on behalf of .....certify the details furnished above are correct to the best of my knowledge. I undertake to

(i) maintain the facilities in good working order and calibrated periodically;

(ii) to fulfil and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Controller from time to time.

Place :

Signature of the Head of the Organisation.

Date :

Name & Designation.....

Seal of the Institution.

B. APPLICATION FOR RECOGNITION AS AN INSPECTOR COMING UNDER THE PURVIEW OF STATIC AND MOBILE PRESSURE VESSELS (UNFIRED) RULES, 1981.

[See rule 12(2)]

1. Name & full address of the organisation :
2. Organisation status

(Specify whether Govt. Autonomous, Co-operative, Corporate or Private body registered under Company's Act.)

3. Whether the organisation has been declared as a competent person under this or any other statute, if so, give details.
4. (i) Set up of the organisation.

(ii) Name & qualification of its constituent members.

(iii) Experience of the Organisation and constituent members with regard to stagewise inspection during fabrication of pressure vessels and various fittings and in other related fields. Please refer to the requirement mentioned in column (4) in Schedule II. (Please attach documentary evidence of the experience).

5. Particulars of equipment, Gauges etc. available with the organisation for carrying out the Inspection/Testing.
6. Details of the procedure followed in carrying out stage-by-stage inspection/tests for certification.
7. Proforma of test and Inspection certificates to be issued to various parties.
8. Any other information.
9. Declaration :

I.....hereby, on behalf of .....certify the details furnished above are correct to the best of my knowledge. I undertake to fulfil and abide by all the conditions and instructions issued by the Chief Controller from time to time.

Place :

Signature of the Head of the Organisation.

Date :

Name & Designation.....

Seal of the Institution.

C. APPLICATION FOR GRANT OF CERTIFICATE OF COMPETENCY TO A PERSON FOR CERTIFYING STORAGE INSTALLATIONS OR TRANSPORT VEHICLES OWNED AND OPERATED BY THE ORGANISATION IN WHICH HE IS EMPLOYED.*

1. Name
2. Date of birth
3. Name of the organisation
4. Designation
5. Educational qualification (Copies of testimonials to be attached).
6. Particulars of professional experience (in chronological order) :

Name of the organisation	Period of service	Designation	Area of responsibilities

7. Membership, if any, of professional bodies.
8. Details of facilities (examination, testing etc.) at his disposal.
9. Purpose for which competency certificate is sought (specify the rules).
10. Whether the applicant has been declared as a competent person under any Statute (If so, details).
11. Any other relevant information.
12. Declaration by the applicant.

I.................., hereby declare that the information furnished above is true. I undertake—

(a) that in the event of my leaving the aforesaid organisation, I will promptly inform the Chief Controller;

(b) to fulfil and abide by all the conditions stipulated in the certificate of competency and instructions issued by the Chief Controller from time to time.

Signature of the applicant

Place :

Date :

DECLARATION BY THE ORGANIZATION

I........................, certify that Shri... whose particulars are furnished above, is in our employment and nominate him on behalf of the organisation for the purpose of being declared as a competent person under the rules. I also undertake that I will—

(a) notify the Chief Controller in case the competent person leaves our employment;

(b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above; and

(c) notify the Chief Controller any change in the facilities.

Place : Signature

Date : Name and Designation————————

Telephone No. ————————

Telex No. ————————

Office Seal.

*Example : An officer in a refinery for certifying LPG storage vessels or the installation".

[F. No. 2(5)/89-DPR/EGGS]

R. K. SINHA, Jt. Secy.

FOOT NOTE :— Principal rules were published vide Notification No. 45 (E), dated 4-2-81, in the Gazette of India Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991